संचालनालय मछलीपालन
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, चौथी मंजील, विंग–"बी", नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
Phone 0771-2443124, Fax – 2443067, Email : dirfishery.cg@nic.in

क्र./3754/सं.म./न.म.नीति/2022–23 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09.12.2022

प्रति,

उप संचालक मछलीपालन,
जिला – .... (छ.ग.)
सहायक संचालक मछलीपालन,
जिला – .... (छ.ग.)

विषय :– **छ.ग. राज्य की नवीन मछलीपालन नीति लागू करने बाबत्।**

संदर्भ :– **छ.ग. शासन का पत्र क्रमांक 354/एफ–6–4/36/तक./2019 नवा रायपुर, दिनांक 02.12.2022.**

––::0::––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासन द्वारा आदेश क्रमांक 340/एफ–6–4/36/तक./2019 नवा रायपुर, दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा नवीन मछलीपालन नीति जारी की गई थी, जिसमें शासन के आदेश क्रमांक 341/एफ–6–4/36/तक./2019 नवा रायपुर, दिनांक 21.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रथम संशोधन किया गया था। तत्पश्चात् उपरोक्त संदर्भित आदेश 354/एफ–6–4/36/तक./2019 नवा रायपुर, दिनांक 02.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा द्वितीय संशोधन किया गया है।

अतः शासन द्वारा जारी किये गये उपरोक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं अपने स्तर से जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को नीति की प्रति आफ लाईन एवं ऑन लाईन उपलब्ध करावें।

संलग्न :– . उपरोक्तानुसार।

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

पृ.क्र./3755/म./न.म.नीति/2022–23 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 09.12.2022

प्रतिलिप :–

1. सचिव, छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड, रायपुर (छ.ग.) –
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ –
3. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ –
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ –
5. समस्त संभाग आयुक्त, जिला – .... (छ.ग.) –
6. समस्त कलेक्टर, जिला – .... (छ.ग.) –
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला – .... (छ.ग.) –
8. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर (छ.ग.) –
   – की ओर सूचनार्थ।
9. संचालनालय की सांख्यिकी शाखा की ओर विभागीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु।

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

–: आदेश :–

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक– 02/12/2022

क्रमांक/1254/एफ–6–4/36/तकनीकी/2019 ::"नवीन मछली पालन नीति" की विभिन्न कंडिका/बिन्दुओं में संशोधन करते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक/340/एफ 6–4/36/तकनीकी/2019, दिनांक 21.11.2022 में राज्य शासन एतद् द्वारा जहां–जहां **"मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति"** अंकित है, उसके स्थान पर **"मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूह"** प्रतिस्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Prajapati 2.12.2022

(तुलिका प्रजापति)
उप सचिव
छ.ग.शासन
मछली पालन विभाग

पृ. क्रमांक/1255/एफ–6–4/36/तकनीकी/2019/ नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मछली पालन विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली।
4. उंप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ आसिफर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छ.ग. शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
7. आयुक्त कृषि, छ.ग.।
8. संचालक मछली पालन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
9. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर।
10. सचिव, छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड, रायपुर।
11. समस्त संभागायुक्त, जिला–..............................(छ.ग.)
12. समस्त कलेक्टर, जिला–..............................(छ.ग.)।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, जिला–..............................(छ.ग.)
14. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक मछली पालन, जिला..............................(छ.ग.)
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, महानदी भवन।
16. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

Prajapati 2.12.2022

उप सचिव
छ.ग.शासन
मछली पालन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—: आदेश :—

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक— 21/11/2022

क्रमांक/340/एफ—6—4/36/तकनीकी/2019 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.07.2022 द्वारा जारी "नवीन मछली पालन नीति" में मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा जारी नीति के निम्न कंडिका/बिन्दुओं में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता है।

बिन्दु क्रमांक—1— त्रि—स्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत तालाब/जलाशय को मछली पालन हेतु 10 वर्ष के लिए पट्टे पर आबंटित करने के अधिकार निम्नानुसार रहेगें :—

1.1— 0—10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय— **ग्राम पंचायत**

1.2— 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय— **जनपद पंचायत।**

1.3— 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय— **जिला पंचायत।**

1.4— 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय/बैराजों को मछलीपालन विभाग द्वारा मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को पट्टे पर आबंटित किया जावेगा।

1.7 नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जलक्षेत्र नगरीय निकाय अंतर्गत रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय निकायों के तालाबों/जलाशयों को शासन की नीति अनुसार 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जाएगा।

बिन्दु क्रमांक—2—तालाब/जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :—

2.1— मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति (सामान्य क्षेत्र में ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित्र क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति) को प्राथमिकता होगी।

2.6— विलोपित।

"मछुआ" से तात्पर्य :—

"मछुआ" से तात्पर्य उस व्यक्ति से हैं जो अपनी आजीविका का अर्जन मछलीपालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य करता हो। (**"वंशानुगत/परंपरागत मछुआ समुदाय धीवर (ढ़ीमर), निषाद (केंवट), कहार, कहरा, मल्लाह को प्राथमिकता दी जावेगी।"**)

बिन्दु क्रमांक—3—त्रिस्तरीय पंचायत के तालाबों/जलाशयों के पट्टा आबंटन प्रक्रिया।

3.2— मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 1.0 हेक्टेयर के स्थान पर **0.50 हेक्टेयर** तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4.0 हेक्टेयर के स्थान पर **2.00 हेक्टेयर** प्रति सदस्य/व्यक्ति के मान से आबंटित किया जाए।

/क्रमशः/

अतिरिक्त बिन्दु :–

बिन्दु क्रमांक–7 के पैरा–4 में "मछली पालन के लिए गठित समितियों का मूल्यांकन सहकारिता विभाग एवं मछली पालन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा एवं समितियों के दायित्व एवं वस्तुस्थिति के अनुसार समितियों को परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी एवं नवीन समितियों के गठन किया जा सकेगा।" जोड़ा जाए।

"नवीन मछली पालन नीति" की शेष कंडिकाएं/बिन्दु यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21.11.2022

(तुलिका प्रजापति)
उप सचिव
छ.ग.शासन
मछली पालन विभाग

पृ. क्रमांक 1347 एफ–6–4/36/तकनीकी/2019/ नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मछली पालन विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ आसिफर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छ.ग. शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
7. आयुक्त कृषि, छ.ग.।
8. संचालक मछली पालन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
9. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर।
10. सचिव, छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड, रायपुर।
11. समस्त संभागायुक्त, जिला–..(छ.ग.)।
12. समस्त कलेक्टर, जिला–..(छ.ग.)।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, जिला–....................(छ.ग.)।
14. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक मछली पालन, जिला....................(छ.ग.)।
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, महानदी भवन।
16. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
छ.ग.शासन
मछली पालन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

–: आदेश :–

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक–25/07/2022

क्रमांक/246/एफ–6–4/36/तकनीकी/2019:: विभागीय आदेश दिनांक 24.03.2003 एवं इसमें समय–समय पर संशोधन प्रतिस्थापित करते हुए प्रचलित मछली पालन नीति जारी की गई थी।

2/ राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में समग्र एवं उत्तरोत्तर विकास तथा मछुआरों के सभी वर्गों की भागीदारी व संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रचलित मछली पालन नीति वर्ष 2003 के स्थान पर राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की **''नवीन मछली पालन नीति''** जारी करता है।

संलग्न :– नवीन मछली पालनी नीति।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव
छ.ग.शासन
मछली पालन विभाग

पृ. क्रमांक/247/एफ–6–4/36/तकनीकी/2019/ **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/07/2022**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मछली पालन विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ आसिफर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छ.ग. शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
7. आयुक्त कृषि, छ.ग.।
8. संचालक मछली पालन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
9. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर।
10. सचिव, छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड, रायपुर।
11. समस्त संभागायुक्त, जिला–..............................(छ.ग.)।
12. समस्त कलेक्टर, जिला–..............................(छ.ग.)।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, जिला–..............................
14. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, महानदी भवन।
15. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. उप/सहायक संचालक मछली पालन, जिला – – – –

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति

छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात् राज्य में मछलीपालन के विकास में वृद्धि हो रही है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन का एक विशिष्ट स्थान है। राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायुवीय परिस्थितियां मछलीपालन हेतु उपयुक्त होने से मछलीपालन कम लागत और कम समय में अधिक आय उर्पाजन हेतु सहायक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। वर्तमान में राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है एवं अन्य राज्यों को मत्स्य बीज का निर्यात कर रहा है तथा राज्य मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में पांचवें स्थान पर एवं मत्स्योत्पादन के क्षेत्र में छठवें स्थान पर है तथा राज्य के 1.999 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में से 98 प्रतिशत जलक्षेत्र में मछलीपालन हो रहा है।

राज्य गठन पश्चात् राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के साथ–साथ राज्य के मछुआरों के आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। मुख्य रूप से मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादन, नवीन तकनीकों के विकास एवं उपयोग तथा नवीन प्रजातियों के पालन एवं विकास, अंतर्राज्यीय मत्स्य बीज/मत्स्य आयात–निर्यात में बदलाव परिलक्षित हुए है।

प्रदेश के मत्स्य पालकों के समग्र एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए मछुआरों के सभी वर्गों की भागीदारी, संरक्षण, मत्स्य सहकारी समितियों के विकास, विभागीय योजनाओं/गतिविधियों के प्रचार–प्रसार, मात्स्यिकी तकनीक के उचित प्रशिक्षण, राज्य के प्रति हेक्टेयर मत्स्य एवं मत्स्य बीज के उत्पादन में वृद्धि, राज्य की मत्स्य निर्यात नीति, नवीन तकनीकों यथा आर.ए.एस., बायोफ्लाक, केज कल्चर के विकास के साथ अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों के परीक्षण एवं विकास के साथ ही नवीन प्रजातियों यथा जयंती रोहू आदि के पालन के साथ–साथ देशी मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए नवीन मछुआ नीति लागू किया जाना आवश्यक है।

राज्य में मछली पालकों को कृषि के अनुरूप विद्युत दर, सिंचाई दर एवं संस्थागत् ऋण उपलब्ध कराये जाने के साथ किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश में आनुवांशिक रूप से विकसित मत्स्य प्रजातियों के मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवीन मछलीपालन नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध संपूर्ण जलक्षेत्र को मत्स्य पालन अंतर्गत लाते हुए मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि करना है साथ ही गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में प्रदेश को सशक्त बनाना है। इस हेतु प्रदेश में जैव विविधता एवं स्थानीय महत्वपूर्ण देशी प्रजातियों यथा देशी मांगुर, पाबदा एवं सांवल मछली इत्यादि का संरक्षण, प्रजनन एवं पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा मत्स्य पालकों को आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन के लिए अन्य जिलों एवं राज्यों में क्रियान्वित नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करने हेतु मत्स्य कृषकों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण एवं उनके कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से उन्नयन प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। मत्स्य विपणन एवं मूल्य संवर्धन के लिए बुनियादी ढ़ांचें को विकसित किये जाने के साथ सहकारिता के माध्यम से मत्स्य विपणन को बढ़ावा दिये जाने का प्रस्ताव है।

मछली की उत्पादकता वृद्धि हेतु तालाबों की मिट्टी, पानी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता को बनाये रखने एवं मछलियों की बिमारियों के रोकथाम के लिए अनुसंधान कार्य

किये जाने हेतु मछली पालन नीति में प्रस्ताव है। प्रदेश में आलंकारिक मछलीपालन एवं गम्बुसिया मछलीपालन को भी प्रोत्साहित किया जाना है।

राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों को स्वालंबी बनाने एवं समितियों की आय में वृद्धि हेतु गोठान क्षेत्र स्थित तालाबों में मछली पालन कार्य से समितियों को जोड़ा जाना है। इसी प्रकार प्रदेश स्थित अनुपयोगी खाली पड़े खदानों में केज कल्चर के माध्यम से मछलीपालन को बढ़ावा दिया जाकर रोजगार सृजित किया जाना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए रिक्त तालाबों एवं जलाशयों में विभाग द्वारा निःशुल्क मछली बीज का संचयन किया जाएगा।

नवीन मछलीपालन नीति से प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं राज्य को मत्स्य निर्यात के क्षेत्र में अग्रसर करने के सांथ ही स्थानीय मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों को रोजगार एवं उनके आर्थिक उन्नयन में सहायक सिद्ध होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग के आदेश वर्ष 2003 द्वारा जारी एवं समय–समय पर संशोधित मछुआ नीति के स्थान पर **नवीन मछली पालन नीति** अंतर्गत निम्नानुसार बिन्दुओं को शामिल किया गया है :–

क्रमांक–1– **त्रि–स्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत तालाब/जलाशय को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने/खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित करने के अधिकार निम्नानुसार रहेगें :–**

1.1– 0 – 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय – **ग्राम पंचायत** द्वारा नियमानुसार 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किये जायेंगे। तथा पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र से अधिक के तालाबों/जलाशयों को मछली पालन के लिए खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित करने का अधिकार निम्नानुसार रहेगें :–

1.2– 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय – **जनपद पंचायत।**

1.3– 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय – **जिला पंचायत।**

1.4– 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय/बैराजों को मछलीपालन विभाग द्वारा मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जाएगा।

1.5– 1000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय/बैराज मत्स्य पालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के आधिपत्य में रहेंगे। मत्स्य महासंघ द्वारा उक्त जलाशयों को खुली निविदा आमंत्रित कर मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, पंजीकृत व्यावसायिक संस्था/कंपनी/फर्म/समूह/व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जाएगा। मत्स्य महासंघ द्वारा उक्त जलाशयों की खुली निविदा से प्राप्त आय का 50% रायल्टी राज्य शासन के खाते में जमा करेगी।

1.6– राज्य में प्रवाहित नदियों पर बने एनीकट्स एवं उन पर स्थित दह (Deep pool) जो 20 हेक्टेयर से अधिक के हो, को निर्धारित समयावधि के लिए मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति/महिला स्व सहायता समूहों/मछुआ व्यक्ति को पट्टे पर दी जावेगी तथा पट्टे पर देने की कार्यवाही संचालक, मछली पालन के माध्यम से की जाएगी। इस हेतु एनीकट्स/दहों के आस–पास के ग्रामीण जो मत्स्याखेट से जीवन–यापन करते है, उन मछुआरों का नदी एवं दहवार सहकारी समिति का गठन कर पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। नदियों एवं 20 हेक्टेयर से कम जलक्षेत्र वाले एनीकट/दहो मे निःशुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रहेगी।

1.7– नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जलक्षेत्र नगरीय निकाय अंतर्गत रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय निकायों के तालाबों/जलाशयों को शासन की नीति अनुसार खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जावेगा।

क्रमांक–2– 0 से 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :–

2.1– **मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति** (सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता होगी)।

2.2– **स्थानीय महिला स्व सहायता समूह** (सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूह व छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता होगी)।

2.3– **मछुआ व्यक्ति/मत्स्य कृषक**–ऐसे मछुआ व्यक्ति/बेरोजगार युवा जो मछली पालन में डिप्लोमा/स्नातक/स्नात्कोत्तर हो।

2.4– ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हो, ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह एवं समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने हेतु प्राथमिकता रहेगी।

2.5– गोधन न्याय योजना अन्तर्गत् निर्मित गौठान हेतु निर्मित तालाबों मे मछली पालन का कार्य गौठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह द्वारा की जावेगी।

2.6– 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र से उपर के समस्त तालाबो/जलाशयों को खुली निविदा के आधार पर आबंटित किये जावेंगे। किन्तु प्राथमिकता बिन्दु क्र. 2.1 मे वर्णितानुसार होगा।

2.7– योजनाओं में चयनित हितग्राही की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

2.8 निविदा में समान दर प्राप्त होने पर सामान्य क्षेत्र में ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों को प्राथमिकता होगी तथा अधिकतम निविदा दर प्राप्त होने पर उक्त मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को 10 प्रतिशत छुट की पात्रता होगी।

''मछुआ'' से तात्पर्य :–

''मछुआ'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपनी आजीविका का अर्जन मछलीपालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य करता है।

क्रमांक–3– त्रिस्तरीय पंचायत के तालाबों/जलाशयों के पट्टा आबंटन की प्रकिया।

3.1– **बिन्दु क्रमांक–2** में वर्णित प्राथमिकता क्रम में तालाब/जलाशय का आबंटन स्थानीय मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह, मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा। स्थानीय मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह, मछुआ व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में समीपस्थ मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को निर्धारित नीति अनुसार आबंटित किया जावेगा।

3.2– मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 1.00 हेक्टेयर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4.00 हेक्टेयर प्रति सदस्य/व्यक्ति के मान से आबंटित किया जावेगा।

3.3– मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को एक से अधिक तालाब ऊपर वर्णित अधिकतम औसत जलक्षेत्र सीमा तक निर्धारित नीति अनुसार आबंटित किया जा सकता है।

क्रमांक–4– तालाबों/सिंचाई जलाशयों में लीज की समय सीमा 10 वर्ष तथा लीज अवधि समाप्त होने की तिथि 15 जून होगी।

क्रमांक–5– पंचायतों के द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति 02 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारण किया जावेगा। जिससे पंचायतों की आय में वृद्धि हो एवं उक्त राशि से ग्रामीणों के जन हितार्थ कार्यों से विकास किया जा सके।

क्रमांक–6– 10 वर्षीय पट्टा आबंटन/निविदा अवधि समाप्त होने पर यदि उस व्यक्ति, समूह व समिति का सम्पूर्ण रिकार्ड अच्छा रहा हो तो उस व्यक्ति, समूह व समिति को पुनः निविदा से आबंटन दिए जाने के लिए प्रथम प्राथमिकता होगी। निविदा दर समान होने पर (सामान्य क्षेत्र में ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों को प्राथमिकता होगी। यह प्रक्रिया पट्टा अवधि समाप्त होने के 06 माह पहले ही कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

क्रमांक–7– तालाब/जलाशय की क्षमता को देखते हुए एक से अधिक मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जा सकेगा। आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत होगा, साथ ही अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में आवश्यक रूप से मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा। लेकिन समिति के उपाध्यक्ष पद हेतु मछुआ जाति (ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह) के सदस्यों को प्राथमिकता रहेगी।

मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र उनके बायलॉज में वर्णित ग्रामों की परिधि तक रहेगा। समिति के बायलॉज में वर्णित प्रत्येक ग्रामों में समिति के कम से कम 05 सदस्य अथवा जलक्षेत्र के अनुपात में सदस्य होना आवश्यक होगा। ऐसी पुरानी समिति जिनके बायलॉज में ग्राम दर्ज नहीं है, उक्त समितियों का परिसीमन कराया जावेगा।

यदि तालाबों/जलाशयों के परिधि क्षेत्र में जलक्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर नवीन मछुआ समूह एवं नवीन पंजीकृत समिति का गठन आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में नवीन मछुआ समूह एवं समिति के गठन/पंजीयन हेतु सामान्य क्षेत्र में 75% सदस्य ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह संवर्ग के होंगे तथा मछली पालन विभाग की अनुशंसा एवं पूर्व में पंजीकृत मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति का ठहराव प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। पूर्व पंजीकृत मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति द्वारा 30 दिवस में अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुशंसा नहीं दिए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। समिति पंजीयन में आर्थिक वायोबिलिटी को दृष्टिगत रखते हुए मछली पालन विभाग की अनुशंसा एवं तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही सहकारिता विभाग द्वारा पंजीयन कार्यवाही की जावेगी।

क्रमांक–8– ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तालाबों/जलाशय को मछलीपालन नीति अनुरूप तीन माह के भीतर आबंटन/निविदा कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित पंचायत की अनुशंसा/सहमति लिए बिना नियमानुसार तालाब/जलाशय आबंटन/निविदा करने का अधिकार मछलीपालन विभाग के माध्यम से संबंधित विहित प्राधिकारी (जिले के कलेक्टर) को होगा तथा उक्त तालाब जलाशय आबंटन/निविदा में प्राप्त राशि संबंधित पंचायत के कोष में जमा की जावेगी।

क्रमांक–9– **प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार निस्तार हेतु तालाब चिन्हाकिंत किया जावेगा।**

निस्तारी तालाबों के चिन्हांकन के संबंध में ग्रामीणों को निस्तार में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार निस्तार हेतु तालाब चिन्हांकित किया जावेगा। चिन्हाकंन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा या उनके प्रतिनिधि जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कम के स्तर के न हो, के द्वारा किया जावेगा। उक्त चिन्हाकिंत निस्तारी तालाब में मत्स्य पालन का कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अवैधानिक रूप से मत्स्य पालन कार्य किये जाने की स्थिति में पंचायत अधिनियम के तहत् विहित प्राधिकारी (जिले के कलेक्टर) द्वारा नीति के उल्लंघन करने वाले संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

क्रमांक—10— मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त कुल राशि का 50% मछली पालन विभाग के राजस्व खाते में देय होगा तथा शेष 50% में से 25% राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में देय होगा।

क्रमांक—11— **मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण।**

मछली बीज का गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है, स्वस्थ और उन्नत प्रजाति के मत्स्य बीज का उत्पादन कर मत्स्योत्पादन बढ़ाने हेतु मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाएगा। मत्स्यबीज उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा एवं इसके लिए विभाग निजी व्यक्तियों को मत्स्य बीज उत्पादन संबंधी तकनीकी से अवगत करायेगा एवं समय—समय पर मार्गदर्शन देगा। राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित प्रजाति के मछली का मत्स्यबीज उत्पादन/पालन/परिवहन/विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मत्स्य बीज विक्रय करने वालों एवं उत्पादकों को कृषि (मछली पालन) विभाग में पंजीयन कराना एवं विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक हैचरी एवं संवर्धन प्रक्षेत्रों का निर्माण को प्रोत्साहित किया जावेगा एवं शासन की नीति अनुरूप अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।

क्रमांक—12— विभाग में मत्स्य निरीक्षक की भूमिका मत्स्य पालन कार्यो में विकास एवं विस्तार अधिकारी के रूप में होगी तथा वे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगें।

क्रमांक—13— विभाग सिंचाई जलाशयों में केज कल्चर योजना क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा। इस हेतु सिंचाई जलाशय को दीर्घ अवधि के लिए केज कल्चर हेतु लीज पर देगा। राज्य में उपलब्ध 50 हेक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र के जलाशय जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ/मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों/महिला स्व सहायता समूह/व्यक्ति/पंजीकृत व्यावसायिक संस्था/कंपनी/फर्म को दीर्घावधि के लिए मछली पालन हेतु आबंटित किये गये हैं, उन जलाशय में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन के लिए केज स्थापित करने हेतु जलक्षेत्र आबंटन कर दिया जाएगा। इस हेतु जलाशयों के कुल जलभराव क्षेत्रफल (Total Water Spread Area) का अधिकतम पांच प्रतिशत जलक्षेत्र केज/पैन स्थापना एवं संचालन तथा मत्स्य अनुसंधान कार्यों हेतु आरक्षित रहेगा।

केज कल्चर की पट्टा अवधि 10 वर्ष होगी। केज में मछलीपालन कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता न होने की स्थिति में पट्टा अवधि पुनः 05 वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

विभागीय एवं अन्य योजना के अंतर्गत जलाशयों में विभाग द्वारा स्थापित केज की लीज़ राशि 100 रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगी, तथा हितग्राही द्वारा योजनाओं में स्थापित केज की लीज राशि 50 रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगी, जिसमें प्रत्येक 02 वर्षो में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि किया जावेगा। उक्त लीज़ राशि संबंधित जिले के मछलीपालन विभाग के विभागीय राजस्व मद में जमा होगी।

क्रमांक–14– राज्य के खदानों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जावेगा।

राज्य स्थित खनिज विभाग/पंचायत विभाग के अनुपयोगी एवं खाली पड़े खदानों को मछलीपालन हेतु उपयोग में लाया जावेगा। खदानों को नियमानुसार स्थानीय बेराजगारों को पट्टे पर प्रदाय किया जावेगा एवं बड़े खदानों में मछलीपालन को बढ़ावा देने हेतु केज स्थापना हेतु प्रयास किया जावेगा।

क्रमांक–15– नक्सल प्रभावित क्षेत्रों/अनुसुचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा एवं कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु मछली पालन को बढ़ावा दिया जावेगा।

मछली आहार प्रोटीन का उपयुक्त साधन है अतः उक्त क्षेत्र के तालाबों/जलाशयों में मछली पालन विभाग द्वारा निःशुल्क मछली बीज का संचयन किया जावेगा एवं अधिक से अधिक लोगों को मछली पालन के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जावेगा।

(तुलिका प्रजापति)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग